

## —: पशुपालन विभाग :—

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। जिले में पशुपालन का महत्व सर्वविदित है। सैकड़ों वर्षों से जिले में दुग्ध व्यवसाय हेतु पशुपालन किया जाता है। कृषि के अलावा सहयोगी व्यवसाय के रूप में पशुपालन से अतिरिक्त आय होती है। जो उसके आर्थिक स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 19 वीं पशु संगणना 2012 के प्रावधिक आंकड़ों के अनुसार जिले में 624866 गौवंशीय, 154118 भैसवंशीय, 167888 बकरे-बकरी एवं 33242 अन्य पशुधन है।

जिले में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 26 पशु चिकित्सालय, 55 पशु औषधालय, 4 मुख्य ग्राम खंड, 40 मुख्य ग्राम इकाई, 1 चल विरुजालय, 1 चल पशु चिकित्सा इकाई एवं 01 रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, 01 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत है।

जिले में प्रथम श्रेणी पद में 1 उप संचालक, 1 सिविल सर्जन 1 पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी द्वितीय श्रेणी में 27 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी में 96 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कार्यरत है।

### जिले में संचालित योजनाएँ :-

#### **1 वत्सपालन प्रोत्साहन योजना :-**

भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढावा देने हेतु पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च अनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का संरक्षण एवं संवर्धन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना की इकाई लागत रुपये 17000/- है। ऐसी गायें जैसे थारपारकर गिर साहिवाल हरियाणा निमाडी एवं केनकथा के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु रुपये 5000 एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि रुपये 500 प्रति माह दो वर्ष तक प्रदाय की जाती है। योजना में शासकीय अनुदान रुपये 17000 है योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

#### **2. बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय (10.+ 1) :-**

देशी बकरीयों में नस्ल सुधार, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है योजना की इकाई लागत रुपये 33212 है योजना में 10 देशी बकरीयों एवं एक जमनापारी बकरा प्रदाय किया जाता है। योजना में शासकीय अनुदान सामान्य वर्ग के लिये रुपये 8303/- एवं अनुसूचित जाति जन जाति के लिये रुपये 16606 है। योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

#### **3. बैक ऋण एवं अनुदान पर 3 दुधारू पशु इकाई का प्रदाय :-**

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। योजना में (अ) गाय देश नस्ल 3 (थारपारकर गीर साहिवाल हरियाणा) की इकाई लागत रुपये 54000/- है। (ब) गाय शंकर नस्ल 3 (एचएफ, जर्सी, करन, स्वीस) की इकाई लागत रुपये 96000/- एवं ग्रेडेड मुर्दा 3 भैस की इकाई लागत रुपये 105000 है। योजना में शासकीय अनुदान सामान्य वर्ग के लिये 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिये इकाई लागत का 33 प्रतिशत है। योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

#### **4 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (अनुदान पर मुर्दा सांडों का प्रदाय):-**

देशी नस्ल की भैसों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है योजना में उन्नत नस्ल का मुर्दा सांड प्रदाय किया जाता है। योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है योजना की इकाई लागत रुपये 22000 है। जिसमें शासकीय अनुदान सभी वर्गों के लिये रुपये 17600 है। शेष राशि रुपये 4400 हितग्राही अंशदान होगा। योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

**5. नंदीशाला योजना :-** स्थानीय अवर्णित/श्रेणीकृत गौ वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन को बढावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में उन्नत नस्ल जैसे थारपारकर, गीर, साहिवाल, एवं हरियाणा नस्ल का 1 गौ सांड प्रदाय किया जाता है। योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है योजना की इकाई लागत रुपये 17500 है जिसमें शासकीय अनुदान रुपये 14000 है शेष राशि रुपये 3500/- हितग्राही अंशदान होगा। योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

#### **6. अनुदान के आधार पर बकरों का प्रदाय :-**

देशी बकरीयों की नस्ल में सुधार, हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार, मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में 1 उन्नत नस्ल का जमनापारी बकरा प्रदाय किया जाता है। योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये है। योजना की इकाई लागत रुपये 5000/- है जिसमें शासकीय अनुदान रुपये 4000 है शेष राशि रुपये 1000 हितग्राही अंशदान होगा। योजना में लाभान्वित होने हेतु निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें।

7. बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाई प्रदाय :-

कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । योजना में बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे प्रदाय किये जाते हैं योजना मात्र अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहि के लिये है योजना की इकाई लागत रूपये 1500 है जिसमें शासकीय अनुदान रूपये 1200 है शेष राशि रूपये 300 हितग्राही अंशदान होगा ।योजना में लाभान्वित होने हेतू निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें ।

8. अनुदान पर कडकनाथ चूजों का प्रदाय :-

कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । योजना में 28 दिवसीय 40 चूजे प्रदाय किये जाते हैं योजना मात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहि के लिये है योजना की इकाई लागत रूपये 2100 है जिसमें शासकीय अनुदान रूपये 1680 है शेष राशि रूपये 420 हितग्राही अंशदान होगा ।योजना में लाभान्वित होने हेतू निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं से संपर्क करें ।

.....000.....